भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2890
सोमवार, 07 अगस्त, 2023 / 16 श्रावण, 1945 (शक)

कृषि मजदूरों और अन्य मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि

2890. श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी:
श्री भागीरथ चौधरी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने देश में, विशेषकर बिहार में बढ़ती कीमतों को देखते हुए कृषि मजदूरों और अन्य मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने का कोई निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) पिछले आठ वर्षों के दौरान देश में कृषि मजदूरों के जीवन स्तर में सुधार और कल्याण के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
(घ) राजस्थान के अजमेर और जयपुर निर्वाचन क्षेत्रों में उक्त योजनाओं से लाभान्वित कृषि मजदूरों का ब्यौरा क्या है और उनके उत्थान के लिए सरकार की कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है;
(ङ) सरकार द्वारा विशेषकर ग्रामीण और कृषि मजदूरों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(च) पिछले चार वर्षों के दौरान उक्त योजनाओं के तहत राजस्थान के सभी जिलों में कितनी राशि आवंटित की गई है; और
(छ) व्यापक शिक्षा, जीवनयापन की स्थिति और दैनिक आवश्यकताओं आदि के संबंध में कृषि मजदूरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क): न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के तहत केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें अपने संबंधित अधिकार-क्षेत्रों में समुचित सरकार के रूप में कृषि सहित अनुसूचित रोजगारों में नियोजित कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण, पुनर्विचार और संशोधन करती हैं। तदनुसार, केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2017 में केंद्रीय क्षेत्र में अनुसूचित रोजगारों में मजदूरी की न्यूनतम दरों को संशोधित किया गया था। इसके अलावा, बढ़ती कीमतों का ध्यान रखने के लिए, केन्द्रीय सरकार

जारी--/2-

औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर प्रत्येक वर्ष न्यूनतम मजदूरी की मूल दरों पर परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (वीडीए) में प्रत्येक 6 महीने में संशोधन करती है जो 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से प्रभावी होती है। वी.डी.ए. में पिछला संशोधन दिनांक 01.04.2023 से किया गया था। केन्द्रीय क्षेत्र में कृषि सहित अनुसूचित रोजगारों में कार्यरत कर्मचारियों को देय वी.डी.ए. में वृद्धि के कारण मजदूरी की दरों में बढ़ोतरी को दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ख): न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों का प्रवर्तन जिसमें न्यूनतम मजदूरी के भुगतान भी शामिल है, समुचित सरकारों अर्थात केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में इस उद्देश्य के लिए सांविधिक रूप से नियुक्त प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है। केंद्रीय क्षेत्र में प्रवर्तन सामान्यत: केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) के रूप में पदनामित मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के निरीक्षण अधिकारियों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है और राज्य क्षेत्र में अनुपालन राज्य प्रवर्तन तंत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। पदनामित निरीक्षण अधिकारी नियमित निरीक्षण करते हैं और न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करने अथवा कम मजदूरी का भुगतान करने के किसी भी मामले का पता चलने की स्थिति में, वे नियोक्ताओं को वेतन में की गई कटौती का भुगतान करने का निदेश देते हैं। अनुपालन न किए जाने के मामले में, धारा 22 के तहत निर्धारित शास्ति उपबंधों का प्रयोग किया जाता है।

(ग) से (छ): सरकार असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम (यूडब्ल्यूएसएस), 2008 कार्यान्वित कर रही है ताकि कृषि कामगारों सहित असंगठित कामगारों को (i) जीवन और नि:शक्तता कवर, (ii) स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा, (iii) वृद्धावस्था संरक्षण और (iv) केंद्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित किसी अन्य लाभ से संबंधित मामलों पर उपयुक्त कल्याण योजनाएं बनाकर सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा सके।

अभिदाता द्वारा किए गए अंशदान के आधार पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से जीवन और नि:शक्तता कवर प्रदान किया जाता है। पीएमजेजेबीवाई योजना 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है और यह 436 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर किसी भी कारण से मृत्यु के मामले में 2.00 लाख रुपये का जोखिम कवरेज प्रदान करती है। प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना(पीएमएसबीवाई) 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है जिसमें 20/- रुपए प्रतिवर्ष के प्रीमियम पर दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण स्थायी अशक्तता के मामले में 2.00 लाख रुपए और दुर्घटना के कारण आंशिक स्थायी निःशक्तता के लिए 1.00 लाख रुपए का जोखिम कवरेज शामिल है।

आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबीपीएमजेएवाई) 27 स्पेशिएलिटीज में 1949 उपचार प्रक्रियाओं के अनुरूप अस्पताल में द्वितीयक और तृतीयक उपचार हेतु भर्ती किए जाने के लिए प्रति पात्र परिवार 5 लाख रुपये का वार्षिक स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है।

जारी/3--

वृद्धावस्था सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 2019 में प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना आरम्भ की। इसमें 60 वर्ष की आयु पूरी होने के पश्चात् न्यूनतम 3000/- रुपए की मासिक पेंशन का प्रावधान है। 18-40 वर्ष की आयु वर्ग के असंगठित कामगार, जिनकी मासिक आय 15000/- रुपए या इससे कम है और जो ईपीएफओ / ईएसआईसी / एनपीएस (सरकार द्वारा वित्त पोषित) के सदस्य नहीं हैं, पीएम-एसवाईएम योजना में शामिल हो सकते हैं। इस योजना के तहत लाभार्थी द्वारा 50% मासिक अंशदान देय है और केन्द्रीय सरकार द्वारा समान मैचिंग अंशदान का भुगतान किया जाता है।

सरकार ने असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने और असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं/कल्याणकारी योजनाओं की सुविधा प्रदायगी के लिए अगस्त, 2021 में ई-श्रम पोर्टल आरम्भ किया है। दिनांक 02.08.2023 की स्थिति के अनुसार, ई-श्रम पोर्टल पर 28.99 करोड़ से अधिक असंगठित कामगार पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें से लगभग 1.30 करोड़ राजस्थान से पंजीकृत हैं।

*   ******

<u>अनुबंध</u>

‘कृषि मजदूरों और अन्य मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि’ के संबंध में श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी और श्री भागीरथ चौधरी द्वारा पूछे गए दिनांक 07.08.2023 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2890 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

दिनांक 19.01.2017 से 01.04.2023 तक वीडीए में संशोधन के कारण न्यूनतम मजदूरी की बढ़ी हुई दरों को दर्शाता विवरण

अनुसूचित रोजगार	कामगार की श्रेणी	मजदूरी की दर जिसमें प्रतिदिन का वीडीए (रुपये में) शामिल है					
		क्षेत्र क		क्षेत्र ख		क्षेत्र ग	
		19.01.2017	**01.04.2023**	**19.01.2017**	**01.04.2023**	**19.01.2017**	**01.04.2023**
कृषि	अकुशल	333	470	303	429	300	424
	अर्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षीय	364	513	335	472	307	434
	कुशल/लिपिकीय	395	558	364	513	334	471
	अतिकुशल	438	617	407	574	364	513
झाड़ू लगाना एवं सफाई करना+	अकुशल	523	736	437	616	350	494
पहरा एवं निगरानी	बिना शस्त्र के (प्रशिक्षण द्वारा उन्नयन करके कुशल बनाना)	637	897	579	816	494	695
	शस्त्र के साथ (पर्यवेक्षण के लिए उन्नयन करके उच्च कुशलता प्राप्त बनाना)	693	973	637	897	579	816
लादना एवं उतारना #	अकुशल	523	736	437	616	350	494
निर्माण ^	अकुशल	523	736	437	616	350	494
	अर्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षीय	579	816	494	695	410	577
	कुशल/लिपिकीय	637	897	579	816	494	695
	अति कुशल	693	973	637	897	579	816
		19.01.2017			**01.04.2023**		
पत्थर खानों में पत्थर तोड़ने और पत्थर पिसाई में कार्यरत मजदूर	1. उत्खनन एवं 50 मीटर लीड/1.5मीटर ऊंचाई सहित अधिक भार को हटाने में :*						
	(क) नरम मिट्टी	351			498		
	(ख) पत्थर सहित नरम मिट्टी	531			748		
	(ग) चट्टान	703			990		
	2. 50 मीटर लीड/1.5 मीटर ऊंचाई सहित छांटे गये पत्थरों को	283			400		

	हटाने एवं जमा करने में·				
	3. निम्न श्रेणी के आकार में पत्थर तोड़ने अथवा पत्थर पीसने के लिए ··				
	(क) 1.0 इंच से 1.5 इंच	2171		3041	
	(ख) 1.5 इंच से ऊपर 3.0 इंच तक	1857		2601	
	(ग) 3.0 इंच से ऊपर 5.0 इंच तक	1088		1527	
	(घ) 5.0 इंच से ऊपर	893		1255	
गैर-कोयला खानें$		**भूमि के ऊपर { मजदूरी की दर जिसमें प्रतिदिन का वीडीए (रुपये में) शामिल है }**		**भूमि के नीचे { मजदूरी की दर जिसमें प्रतिदिन का वीडीए (रुपये में) शामिल है }**	
		19.01.2017	**01.04.2023**	**19.01.2017**	**01.04.2023**
	अकुशल	350	494	437	616
	अर्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षीय	437	616	523	736
	कुशल/लिपिकीय	523	736	610	858
	अति कुशल	610	858	683	959

*प्रति 2.831 क्यूबिक मीटर अथवा 100 क्यूबिक फीट

** प्रति ट्रक 5.662 क्यूबिक मीटर अथवा 200 क्यूबिक फीट भार

+ सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, **1993** के तहत निषिद्ध गतिविधियों को छोड़कर साफ और सफाई के कार्य में लगे कर्मचारी।

रेलवे के माल शेड, पार्सल कार्यालयों में लोडिंग और अनलोडिंग के कार्य में लगे कर्मचारी; **(ii)** अन्य गुड्स शेड, गोदाम, गोदाम और अन्य समान रोजगार; **(iii)** गोदी और बंदरगाह; और **(iv)** हवाई अड्डों में यात्री सामान और कार्गो (अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों) ले जाने वाले कर्मचारी।

^ भूमिगत विद्युत, वायरलेस, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीग्राफ और विदेश से संचार संबंधी केबल और इसी तरह के अन्य भूमिगत केबल बिछाने के कार्य, विद्युत लाइन, जल आपूर्ति लाइनों और सीवरेज पाइप लाइन को बिछाने सहित सड़कों या रनवे के निर्माण या रखरखाव या भवन संचालन में लगे कर्मचारी।

$ जिप्सम खान, बैराइट्स खान, बॉक्साइट खान, मैंगनीज खान, चाइना क्ले खान, कायनाइट खान, तांबा खान, मिट्टी की खान, मैग्नेसाइट खान, व्हाइट क्ले खान, पत्थर खान, स्टीटाइट खान (सोप स्टोन्स तथा टेल्क बनाने वाली खदान सहित) के रोजगार में लगे कर्मचारी), गेरू की खदान, अभ्रक की खदानों, आग की मिट्टी की खदानों, क्रोमाइट की खदानों, क्वार्टजाइट की खदानों, क्वार्ट्ज की खदानों, सिलिका की खदानों, ग्रेफाइट की खदानों, फ़ेलस्पार की खदानों, लेटराइट की खदानों, डोलोमाइट की खदानों, रेड ऑक्साइड की खदानों, वोल्फ्राम की खदानों, लौह अयस्क की खदानों, ग्रेनाइट खदानों, रॉक फॉस्फेट खदानों, हेमेटाइट खदानों, संगमरमर और कैल्साइट खदानों, यूरेनियम खदानों, अभ्रक खदानों, लिग्नाइट खदानों, बजरी खदानों, स्लेट और मैग्नेटाइट खदानों में काम करने वाले कर्मचारी।

<u>क्षेत्र का वर्गीकरण</u>

क्षेत्र - "क"					
अहमदाबाद	(यूए)	हैदराबाद	(यूए)	फरीदाबाद परिसर	
बेंगलुरु	(यूए)	कानपुर	(यूए)	गाज़ियाबाद	
कोलकाता	(यूए)	लखनऊ	(यूए)	गुडगाँव	
दिल्ली	(यूए)	चेन्नई	(यूए)	नोएडा	
ग्रेटर मुंबई	(यूए)	नागपुर	(यूए)	सिकंदराबाद	
नवी मुंबई		पुणे	(यूए)		
क्षेत्र - "ख"					
आगरा	(यूए)	ग्वालियर	(यूए)	पोर्ट ब्लेयर	(यूए)
अजमेर	(यूए)	हुबली, धारवाड़	(नगर निगम))	पुदुचेरी	(यूए)
अलीगढ़	(यूए)	इंदौर	(यूए)	रायपुर	(यूए)
इलाहाबाद	(यूए)	जबलपुर	(यूए)	राउरकेला	(यूए)
अमरावती	(नगर निगम)	जयपुर	(नगर निगम)	राजकोट	(यूए)
अमृतसर	(यूए)	जालंधर	(यूए)	रांची	(यूए)
आसनसोल	(यूए)	जालंधर-कैंट.	(यूए)	सहारनपुर	(नगर निगम)
औरंगाबाद	(यूए)	जम्मू	(यूए)	सालेम	(यूए)
बरेली	(यूए)	जामनगर	(यूए)	सांगली	(यूए)
बेलगाम	(यूए)	जमशेदपुर	(यूए)	शिलांग	
भावनगर	(यूए)	झांसी	(यूए)	सिलीगुड़ी	(यूए)
भिवंडी	(यूए)	जोधपुर	(यूए)	सोलापुर	(नगर निगम)
भोपाल	(यूए)	कन्नूर	(यूए)	श्रीनगर	(यूए)
भुवनेश्वर	(यूए)	कोच्चि	(यूए)	सूरत	(यूए)
बीकानेर	(नगर निगम)	कोल्हापुर	(यूए)	तिरुवनंतपुरम	(यूए)
बोकारो स्टील सिटी	(यूए)	कोल्लम	(यूए)	त्रिशूर	(यूए)
चंडीगढ़	(यूए)	कोटा	(नगर निगम)	तिरुचिरापल्ली	(यूए)
कोयंबटूर	(यूए)	कोझिकोड	(यूए)	तिरुपूर	(यूए)
कटक	(यूए)	लुधियाना	(नगर निगम)	उज्जैन	(नगर निगम)
देहरादून	(यूए)	मदुरै	(यूए)	वडोदरा	(यूए)
धनबाद	(यूए)	मलप्पुरम	(यूए)	वाराणसी	(यूए)
दुर्गापुर	(यूए)	मालेगांव	(यूए)	वसई-विरार शहर	(नगर निगम)
दुर्ग-भिलाई नगर	(यूए)	मंगलौर	(यूए)	विजयवाड़ा	(यूए)
इरोड	(यूए)	मेरठ	(यूए)	विशाखापत्तनम	(नगर निगम)
फिरोजाबाद		मुरादाबाद	(नगर निगम)	वारंगल	(यूए)
गोवा		मैसूर	(यूए)	गोरखपुर	(यूए)
नांदेड़ वाघाला	(नगर निगम)	ग्रेटर विशाखापत्तनम	(नगर निगम)	नासिको	(यूए)
गुलबर्गा	(यूए)	नेल्लोर	(यूए)	गुंटूर	(यूए)
पंचकुला	(यूए)	गुवाहाटी	(यूए)	पटना	(यूए)

क्षेत्र 'ग' में वे सभी क्षेत्र शामिल होंगे जिनका उल्लेख इस सूची में नहीं है।

एनबी : यूए शहरी समूह के लिए दिया गया है।